न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–77/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खुमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 28 साल, 2. हीरों कुमारी पुत्री हुकमाराम उम्र 25 साल, जातियान जाट, निवासी–कागों की ढाणी, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा		1.हुकमाराम पुत्र डूंगराराम, उम्र–55 साल 2 कलाराम पुत्र डूगराराम, उम्र 65 साल 3. पोकराराम पुत्र आदुराम, उम्र 60 साल 4. फर्तुदेवी पत्नी आदुराम, उम्र 60 साल 5. रावताराम पुत्र नवाराम, उम्र–40 साल 6. जोगाराम पुत्र नवाराम, उम्र 35 साल 7. चौनीवी पत्नी नवाराम, उम्र–60 साल 8. मुलाराम पुत्र पैलाराम, उम्र–55 साल, जातियान–जाट, निवासी–कागों की ढाणी, तहसील– सिणधरी, जिला–बालोतरा 9. श्रीमान तहसीलदार एवं उप पंजीयक, सिणधरी 10. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. सड़ा 11. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 27.03.2025

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 आपस में पुत्र–पिता का रिश्ता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी डूंगराराम के वारिसान है। मुतवफी डूंगराराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक व सहदायिक [illegible] रूप में प्राप्त हुई। मुतवफी डूंगराराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि [illegible] के नाम से पारित किया गया। वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी होने से तथा वादीगण [illegible] वादी सं. 1 के पुत्र–पुत्री होने से विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी [illegible] के साथ प्रत्येक वादी का पृथक से 1/30 हिस्सा खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/30–1/30 हिस्से का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सहखातेदार घोषित करवानें एवं बाद घोषणा खातेदारी जोत के विभाजन हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 9 के पैरोकार सरकार उप.।

3. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 खुमाराम, पी.डब्ल्यू–2 बालाराम व पी.डब्ल्यू–3 रावताराम के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की प्रदर्श–01 जमाबंदी खसरा संख्या 328/2 ग्राम कागो की ढाणी, प्रदर्श–02ए आधार कार्ड खुमाराम, प्रदर्श–03ए राशनकार्ड की प्रति, प्रदर्श–04ए हीरो कुमारी के टीसी की प्रतिलिपि व प्रदर्श–5 डूंगराराम की फौतगी का नामान्तकरण संख्या 487 की प्रतिलिपि पेश किए गए।

4.हमनें वकील वादीगण की बहस सुनी गई थी। वकील वादीनी ने वाद के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 आपस में पुत्र–पिता का रिश्ता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी डूंगराराम के वारिसान है। मुतवफी डूंगराराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। मुतवफी डूंगराराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से पारित किया गया। वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी होने से तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र–पुत्री होने से विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ प्रत्येक वादी का 1/30 हिस्सा खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/30–1/30 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवानें एवं बाद घोषणा खातेदारी जोत के विभाजन किया जावे।

5.हमनें दोनो पक्षों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी डूंगराराम के वारिसान है। मुतवफी डूंगराराम के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। मुतवफी डूंगराराम के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से पारित किया गया। वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी होने से तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र–पुत्री होने से विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ प्रत्येक वादी का पृथक से 1/30 हिस्सा खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम कागों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested

SDO सिणधरी

की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/30–1/30 हिस्से का सहखातेदार घोषित करवानें एवं बाद घोषणा खातेदारी जोत के विभाजन का अधिकार है। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद स्वीकार योग्य है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कागों की ढाणी पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा संख्या 328/2 रकबा 37.7479 हैक्टयर में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार करते हुए प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा उनकी खातेदारी में धोषित किया जाता है। बाद घोषणा उपरोक्त भूमि में वादीगण का हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 1000/शुल्क पर कमीशनर मुकर्रर किया जाता है। कमीशनर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेगे। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें जावें। शेष बदूस्तर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 27.03.20025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:10 IST
Reason: SelfAttested